

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या:- 526/2025

श्रवण कुमार पुत्र चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादी

बनाम

1. पोलाराम पुत्र श्री चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र श्री चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. संतरो देवी पत्नी श्री चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मदनी पुत्री श्री चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. संतोष पुत्री श्री चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. सरोज पुत्री श्री चतरुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. तहसीलदार (राजस्व), रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री विक्रम सिंह राठौड - अधिवक्ता वादी
2. श्री मदन गोदारा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 6
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 7

-:निर्णय:-

दिनांक 10.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व पति/पिता स्व0 श्री चतरुराम की निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि संयुक्त खाता में राजस्व अभिलेख में दर्ज है :-

क- चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 से 9, 10/2/0.203, पत्थर नंबर 130/380 (24) किला नंबर 1/2/0.202, 2 से 4, 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 से 9, 10/2/0.202 कुल तादादी 3.643 हैक्टेयर।

ख- चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2, 3/2/0.025, 1/2/0.202, 12/2/0.109 कुल 0.791 हैक्टेयर।

कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

ग- चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 114/381 (19) किला नंबर 4/0.025, 5, 6/0.177, 15/0.063, पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13, 16 से से 18, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1 प्रत्येक 0.202, पत्थर नंबर 120/386 (53) किला नंबर 17/0.126, 25/0.076 कुल 2.540 हैक्टेयर कमाण्ड। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 से 6 के पिता व प्रतिवादिया संख्या 3 के पति स्व० श्री चतरुराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा उन्होंने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। इस प्रकार वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्सा के काश्तकार है तथा इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य घराघरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक बंटवारा निम्नलिखित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है :-

(क) वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 से 9, 10/2/0.203, पत्थर नंबर 130/380 (24) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025 कुल 1.468 हैक्टेयर।

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 3/0.010 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर।

चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13/0.135, 18/0.135, 22/0.202, 23/0.134 कुल 0.606 हैक्टेयर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/380 (24) के किला नंबर 7 से 9, 10/2/0.202 कुल 0.961 हैक्टेयर।

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2/0.253, 3/0.015, 11/2/0.023, 12/2/0.024 कुल 0.517 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर।

चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13/0.118, 17/0.240, 18/0.118, 23/0.068, 24/0.062 कुल 0.606 हैक्टेयर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2 से 4/0.759, 5/1/0.228, 6/2/0.025 कुल 1.214 हैक्टेयर।

88, 53 rta Sharwan Kumar VS Polaram etc Case no 526/2025

4
चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 11/2/0.089, 12/2/0.085 कुल 0.174 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर।

चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 16, 17/0.013, 24/0.140, 25/0.202 कुल तादादी 0.608 हैक्टेयर।

(घ) वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर कब्जा काशत की भूमि का विवरण :-

चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 114/381 (19) किला नंबर 4/0.025, 5, 6/0.177, 15/0.063, पत्थर नंबर 120/386 (53) किला नंबर 17/0.126, 25/0.076 कुल 0.720 हैक्टेयर।

यह कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 2-क में वर्णित अनुसार कृषि भूमि काशत करता चला आ रहा है लेकिन उक्त खाता संयुक्त रहने से व इसी अनुसार भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है तथा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा देय सुविधाओं से वंचित हो रहा है, जिस कारण वादी के साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। वादीग की कृषि भूमि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है, जिस कारण वादी का हमेशा प्रतिवादीगण के साथ सीव, बट व रकमराज को लेकर आपस में तनाजा रहता है, इस कारण वादी वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादपत्र की चरण संख्या 4 (क) में वर्णित अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने एवं रकमराज अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या 4 क के अनुसार घोषणा करवाकर अलग खाता कायम करवाकर खाता तकसीम करवा देवे लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। आदि आदि कथन कर वाद पत्र में इस्तदुआ चाही कि:-

क- कि घोषणा फरमाई जावे कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 से 9, 10/2/0.203, पत्थर नंबर 130/380 (24) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025 कुल 1.468 हैक्टेयर व चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 3/0.010 हैक्टेयर, दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर एवं चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13/0.135, 18/0.135, 22/0.202, 23/0.134 कुल 0.606 हैक्टेयर का खातेदार काशतकार है तथा इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर रकमराज अलग कायम किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

ख- कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 114/381 (19) किला नंबर 4/0.025, 5, 6/0.177, 15/0.063, पत्थर नंबर 120/386 (53) किला नंबर 17/0.126, 25/0.076 कुल 0.720 हैक्टेयर के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काशतकार घोषित फरमाये जावे तथा इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर रकमराज अलग कायम किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता मदन गोदारा उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 6 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी सं. 3 ता 6 द्वारा अपना हिस्सा नहीं लेने का कथन कर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निम्न प्रकार से हिस्सा याचित किया है-

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/380 (24) के किला नंबर 7 से 9, 10/2/0.202 कुल 0.961 हैक्टेयर। चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2/0.253, 3/0.015, 11/2/0.023, 12/2/0.024 कुल 0.517 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर। चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13/0.118, 17/0.240, 18/0.118, 23/0.068, 24/0.062 कुल 0.606 हैक्टेयर।

प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब प्रतिदावा पेश कर निम्न भूमि का प्रतिदावा पेश किया:-

चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2 से 4/0.759, 5/1/0.228, 5/2/0.025 कुल 1.214 हैक्टेयर। चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 11/2/0.089, 12/2/0.085 कुल 0.174 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर।

चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 16, 17/0.013, 24/0.140, 25/0.202 कुल तादादी 0.608 हैक्टेयर। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने नुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1, 2 स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-


अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- हिस्सा वादी:- चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 से 9, 10/2/0.203, पत्थर नंबर 130/380 (24) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025 कुल 1.468 हैक्टेयर व चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 3/0.010 हैक्टेयर, दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर एवं चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13/0.135, 18/0.135, 22/0.202, 23/0.134 कुल 0.606 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा की भूमि:- चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/380 (24) के किला नंबर 7 से 9, 10/2/0.202 कुल 0.961 हैक्टेयर। चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2/0.253, 3/0.015, 11/2/0.023, 12/2/0.024 कुल 0.517 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर। चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से

2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 13/0.118, 17/0.240, 18/0.118, 23/0.068, 24/0.062 कुल 0.606 हैक्टेयर का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 के हिस्सा :- चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 8/5 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 1/2/0.202, 2 से 4/0.759, 5/1/0.228, 5/2/0.025 कुल 1.214 हैक्टेयर। चक 2 एच.एल.एम. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 9/11 के पत्थर नंबर 130/379 (19) किला नंबर 11/2/0.089, 12/2/0.085 कुल 0.174 हैक्टेयर। दोनो खातो की कुल 1.478 हैक्टेयर। चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 120/383 (34) किला नंबर 16, 17/0.013, 24/0.140, 25/0.202 कुल तादादी 0.608 हैक्टेयर। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त:- चक 3 जैड.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2078 के खाता संख्या 15/14 के पत्थर नंबर 114/381 (19) किला नंबर 4/0.025, 5, 6/0.177, 15/0.063, पत्थर नंबर 120/386 (53) किला नंबर 17/0.126, 25/0.076 कुल 0.720 हैक्टेयर। इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग कायम किए जाने का आदेश फरमाया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ़/रावतसर को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावे।


(मानोज कुमार)
सहायक कलेक्टर
उप-तहसील
हनुमानगढ़
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़